07/5/26

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रवि.सं. 4/2 द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र (दिनांक 24.03.2025) स्वीकार किया जाकर पूर्ण वाद सं. 329/2022 को निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

GCMS
2022/233

उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.13 17:09:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

वाद–पत्र संख्या : 329 / 2022 | दायरा दिनांक : 30 / 11 / 2022

GCMS:- 2022/233

अनवान् : रुघाराम ब ना म् रामेश्वरी वगै0

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-151 सी.पी.सी.

निर्णय | दिनांक : 07.05.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.03.2025 हेतु पेश हुई, अवलोकन किया गया। पक्षकारान के अभिभावक उपस्थित। उक्त वाद–पत्र अंतर्गत धारा–88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 24.03.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बलजीत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जो प्रतिवादी संख्या 04 / 02 के द्वारा पेशकर यह कथन किया गया है कि वादी रामकुमार के द्वारा मिथ्या कथन करते हुये प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र दिनांक 24.08.2023 को पेशकर गुरमीत कौर जो कि वाद–पत्र में प्रतिवादी सं. 4 अंकित है उसके जीवित होते हुये इनकी दिनांक 10.08.2023 को मृत्यु बताते हुए उनके स्थान पर उनके वारिसों को गलत रुप से पक्षकार बनवाते हुये न्यायालय को धोखा दिया है। वादी और प्रतिवादी एक ही छोटे से ग्राम के निवासी हैं और एक–दूसरे के सुख–दुःख में शामिल होते रहते हैं। इन्हें प्रतिवादी सं. 4 की मृत्यु के बारे में पूर्ण जानकारी थी। जबकि प्रतिवादी संख्या 04 की मृत्यु दिनांक 09.09.2023 को हुई है। नकल मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रार्थना–पत्र के साथ पेश किया गया है। वादी अप्रार्थी रामकुमार के इस कृत्य से मुझ प्रतिवादी को भयानक मानसिक आघात हुआ है। वादी का यह कृत्य माननीय न्यायालय की घोर अवमानना है जिसके प्रतिकार स्वरुप वादी का वाद निरस्त किया जावे व न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जाकर उसे दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। वादी रामकुमार के द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र का एक जवाब दिया गया कि गुरमीत कौर का मृत्यु प्रमाण–पत्र गलत बनवाया गया है इसलिये प्रतिवादी / अप्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमाया जावे। जवाब अप्रार्थी / वादी प्राप्त होने पर बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी प्रतिवादी के द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी / वादी द्वारा जानबूझकर मृत्यु की दिनांक 10.08.2023 गलत बताई गई है। जबकि प्रतिवादी गुरमीत कौर की मृत्यु दिनांक 09.09.2023 को हुई है। जिसका मृत्यु प्रमाण–पत्र पत्रावली में उपलब्ध है। इस अवस्था में जीवित व्यक्ति को मृत बताकर झूठा शपथ–पत्र देकर माननीय अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई है। वादी / अप्रार्थी ने वाद–पत्र में स्वच्छ हाथों से तथ्य प्रकट नहीं किये गये, दस्तावेजी रिकार्ड से प्रार्थी प्रतिवादी के कथन साबित हो रहे है। वादी के द्वारा अपना वाद–पत्र डिक्री करवाने की गर्ज से स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुआ है। इसके द्वारा अदालत को धोखा देने की गर्ज से जानबूझकर असत्य कथन कर शपथ–पत्र पेश कर आदेश प्राप्त किये गये है। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में न्याय निर्णय उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय प्रकाशित (2022) 12 SSC पेज नं. 815 अनावन् K. Jayaram V/s Bangalore Development Authority, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2023 अनवान् Chhaviraj Adoped son of Late Shri Jalim V/s Union of India व (2008) 12 SCC–481 उच्चतम न्यायालय के निर्णय पेश किये गये। प्रार्थना–पत्र को धारा–151 सी.पी.सी. का मानते हुये पूर्ण वाद वादी निरस्त किया जावे का निवेदन किया गया। जो [illegible] वादी द्वारा पेश किया जा रहा है वह फर्जी तैयार किया गया है। इसकी सत्यता के बारे में वादी द्वारा कोई शपथ–पत्र पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी / वादी के अभिभाषक द्वारा आज भी यह कथन किया गया कि गुरमीत कौर का दिनांक 10.08.2023 को [illegible] हुआ था। वर्तमान में जो मृत्यु प्रमाण–पत्र गुरमीत कौर में मृत्यु दिनांक 09.09.2023 अंकित है वह जानबूझकर गलत अंकित करवाई गई है कि मुझे तो सोशन मीडिया से जानकारी हुई है। जिसकी जांच करवाई जानी आवश्यक है, इसलिये प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.13 17:09:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार 2 पर

उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया कि दस्तावेजी रिकार्ड मृत्यु प्रमाण–पत्र के अनुसार गुरमीत कौर की मृत्यु दिनांक 09.09.2023 को हुई जबकि वादी/रामकुमार ने उसकी मृत्यु से पूर्व ही गुरमीत कौर की मृत्यु बताकर उसके वारिसों को पक्षकार बनाने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया। वादी के द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र के समर्थन में कोई शपथ–पत्र पेश नहीं किया गया है। जिससे उसके कथनों को सही माना जा सके। इसके अतिरिक्त जो सोशल मीडिया पर प्रकाशित पाठ भोग व अन्तिम अरदास की सूचना की फोटो कापी पेश की गई है वह सही होने बाबत भी न्यायालय में शपथ–पत्र पेश करने का कहे जाने पर वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह साधारण विषय नहीं है। अदालत को मिथ्या कथन कर शीघ्र निर्णय करवाने की चेष्टा है जो स्पष्ट रुप से अदालत को भ्रमित कर धोखा देकर गलत सामग्री के आधार पर आदेश प्राप्त करने की चेष्टा की परिधी में आता है। जो कि न्यायालय की अवमानना की सीमा को छूता है। यह कृत्य घोर निदंनीय है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय Apex Court के प्रकाशित (2022) 12 SCC 815 Title : K. Jayaram V/s Bangalore Development Authority में Apex Court held that since appellants have not come to court with clean hands they abused the process of laws. They are not entitled for extra ordinary equitable and discretionery relief. Raj. High Court द्वारा दिनांक 06.01.2023 को Chhaviraj Adoped Son of Late Shri Jalim V/s Union of India में When the petitioner has not come with clean hands and has suppresed material facts he is not entitled to any relief एवं Apex Court के (2008) 12 SCC 481 Title : K. D. Sharma V/s Steel Authority of India में where petitoners make false statement or conceals material facts or misleads the Court if is the power and duty of court to dismiss the petition at the threshold without considering the merits of the claim का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है जो इस प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होता है। इसी आधार पर पक्षकार न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 4/2 बलजीत सिंह का प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.03.2025 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा–151 सी.पी.सी. की परिधी का मानते हुये प्रार्थना–पत्र प्रार्थी न्यायहित में स्वीकार करते हुए उक्त अनवान का पूर्ण वाद–पत्र सं. 329/2022 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आज दिनांक 07.05.26 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.13 17:09:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)